

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 167930 ग्रा.वि०, पटना, दिनांक:- 31.10.13
ग्रा.वि० - 4/पत्रिका-03-11/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आलोक में परिवार रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) का मुद्रण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंकित प्रावधानों के अंतर्गत इच्छुक परिवारों को रोजगार कार्ड (जॉब कार्ड) उपलब्ध कराना है । इस अधिनियम के आलोक में रोजगार मांगने वाले मजदूरों के संबंध में जॉब कार्ड में आवश्यक सूचना यथा-मजदूरों की उपस्थिति, उनको किये गये भुगतान तथा उनको उपलब्ध कराये गये कार्य दिवस इत्यादि अंकित किया जाना है । अधिनियम के अंतर्गत मजदूर को 100 दिन अकुशल रोजगार की गारंटी का हक प्राप्त करने के लिए पारिवारिक रोजगार कार्ड सबसे अहम अभिलेख है ।

2. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश, 2013 में जॉब कार्ड हेतु दिये गये फॉर्मेट के आलोक में विभाग द्वारा जॉब कार्ड का नमूना बनाया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न है । जॉब कार्ड की विशिष्टताएँ (specifications) एवं मुद्रण की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

(क) जॉब कार्ड 32 मल्टीकलर पृष्ठों का होगा । यह मुद्रण ए4 साइज के आधे आकार में किया जाय । जॉब कार्ड का कवर पृष्ठ मल्टीकलर लेमिनेटेड होगा एवं कवर पृष्ठ के कागज की मोटाई 190 जी.एस.एम. होगी । अन्दर के पृष्ठों की मोटाई 90 जी.एस.एम. मल्टीकलर होगी (ए.4 साइज का आधा) । प्रत्येक जॉब कार्ड की अधिकतम कीमत 08.80 रुपये होना चाहिए (लेमिनेटेड कवर पृष्ठ के साथ) ।

(ख) जिला स्तर पर BFR के प्रावधानों के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाकर खुली निविदा के द्वारा आवश्यकतानुसार जॉब कार्ड मुद्रण कराना सुनिश्चित करेंगे । (मात्र तुलनात्मक दृष्टिकोण से विभाग में मिले Quotation के आधार पर दरो की प्रति संलग्न है ।)

(ग) गुणवत्ता, शुद्धता एवं विहित निविदा प्रक्रिया अपनाना जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेवारी है ।


3. जॉब कार्ड के मुद्रण का खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के आकस्मिकता मद से किया जाय ।

4. विपत्र पारित करते समय VAT एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाय ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित दिशा-निर्देश के आलोक में जॉब कार्ड मुद्रण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

विश्वासभाजन


31.10.13
(अमृत लाल मीणा)

सचिव


11/10/13